

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

06/04/23

पत्रावली पेना हुक्म वादीगण वकील ठपन वादीगण
वकील ने अर्चना फर संशोधित शीर्षक एवं उत्तरी सेम्मा
13 का नाम विलोपित करने तथा उत्तरी सं. 13 व 14
को नये उत्तरी बनाने बाबत पेना कर निवेदन किया
कि उम्बर आराजी में उत्तरी सं. 13 रवेसराम पुत्र
दभाराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जीमादेवी पत्नी रवेसराम
व नमणीदेवी पत्नी शिवतराम को बेचान कर दिया है
इसलिए उत्तरी सं. 13 का नाम विलोपित करने तथा
नये उत्तरी सं. 13 व 14 को उत्तरी बनाने का आदेश
फरमावे। अतः वादीगण वकील द्वारा उत्तरी अर्चना पत्र
को ल्यावहित में स्वीकार कर वादी वकील को आदेशित किया
जाता है कि संशोधित शीर्षक उत्तरी करे। वादी वकील ने
संशोधित शीर्षक पेना किया जिसे शामिल पत्रावली किया
जाता है। वादी वकील ने विज्ञापन अल्लाव पर बख्त सुनने
का निवेदन किया। वादी वकील की बख्त सुनी गई।
बख्त पर भगन किया। पत्रावली एवं विज्ञापन अल्लाव
का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर उत्तरी होता है-
कि वादी का दाद स्वीकार करने योग्य है।
अतः निर्णय अल्लाव से लिखा जाऊँगा शामिल पत्रावली
किया जाता है। पत्रावली फेरल हुमाद होऊँगा दरिबत फेरल
हो। संख्या से उम हो।

(C)
अदालत
जलास
मंडारम पुत्र
निवासी

डिक्री व मुकदमें इब्दाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्बा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appellendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाङमेर
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोड़ाराम पुत्र लालूराम उर्फ लालाराम जाति-कुम्हार, निवासी-आकल, तहसील सेड़वा, जिला बाङमेर		1. रामाराम पुत्र लालूराम उर्फ लालाराम 2. भैराराम पुत्र लालूराम उर्फ लालाराम 3. मेतीराम पुत्र पदमाराम जाति कुम्हार फोट के कायम मुकाम 3/1. बाबूराम पुत्र मोतीराम 3/2. मूलाराम पुत्र मोतीराम 3/3. चन्दू पुत्री मोतीराम 4. धनाराम पुत्र पदमाराम 5. खेराजराम पुत्र पदमाराम 6. मालाराम पुत्र पदमाराम 7. मेतीदेवी पुत्र पदमाराम 8. अमीदेवी पुत्री पदमाराम 9. गंगाराम पुत्र हेमाराम 10. राजूराम पुत्र हेमाराम 11. रावताराम पुत्र हेमाराम 12. भीखाराम पुत्र हेमाराम 13. जीयादेवी पत्नि भैराराम 14. चनणीदेवी पत्नि भैराराम जातियान-कुम्हार, निवासी आकल तहसील सेड़वा, जिला बाङमेर। 15. तहसीलदार सेड़वा

मुकदमा नम्बर : 120/2020

दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act

मोड़ाराम बनाम रामाराम वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू-ब-रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई वादीगण वकील दोषमोहमद आरीसर उपस्थित मनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 03.02.2023 को प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	मोड़ाराम पुत्र लालूराम कुम्हार(प्रजापति)सा.देह खातेदार	आकल	398/160	1.2732	बा.सो	0.39	हरा
2	धनाराम 2122/52747, खेराजराम 2122/52747, मालाराम 2122/52747, मेती 2122/52747, अमी 2122/52747 पिता पदमाराम, बाबूराम 708/52747, मूलाराम 708/52747, चन्दूदेवी 708/52747 पिता मोतीराम, गंगाराम 3183/52747, राजूराम 3183/52747, भीखाराम 3183/52747, रावताराम 3183/52747 पिता हेमाराम, रामाराम पुत्र लालूराम 12732/52747, भैराराम पुत्र लालूराम 12732/52747, राजूराम पुत्र हेमाराम 606/52747, चनणीदेवी पत्नि रावताराम 606/52747, जीयादेवी पत्नि भैराराम 606/52747 जति कुम्हार(प्रजापति)सा.देह खातेदार	आकल	200, 398/160, 398/160	0.5747, 2.7263, 1.9717	बा.सो	0.18 0.79 0.67	लाल
			3	5.2747	बा.सो	1.64	लाल

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे मे अलग-अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपरोक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्टा में तरमीम करने एवम् पृथक पृथक खातेदार में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक ...06/04/2023 को जारी की गई।


(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
(S(SDO) सेड़वा)

नका
हना

संभव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

(पीठासीन अधिकारी : श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :- 120/2020

दावा बाबत :- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोडाराम पुत्र लालूराम उर्फ लालाराम जाति-कुम्हार, निवासी-आकल, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर		1. रामाराम पुत्र लालूराम उर्फ लालाराम 2. भैराराम पुत्र लालूराम उर्फ लालाराम 3. मेतीराम पुत्र पदमाराम जाति कुम्हार फोट के कायम मुकाम 3/1. बाबूराम पुत्र गोतीराम 3/2. मूलाराम पुत्र गोतीराम 3/3. चन्दू पुत्री गोतीराम 4. धनाराम पुत्र पदमाराम 5. खेराजराम पुत्र पदमाराम 6. मालाराम पुत्र पदमाराम 7. मेतीदेवी पुत्र पदमाराम 8. अमीदेवी पुत्री पदमाराम 9. गंगाराम पुत्र हेमाराम 10. राजूराम पुत्र हेमाराम 11. रावताराम पुत्र हेमाराम 12. भीखाराम पुत्र हेमाराम 13. जीयादेवी पत्नि भैराराम 14. चनणीदेवी पत्नि भैराराम जातियान-कुम्हार, निवासी आकल तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 15. तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण - वादीगण वकील - श्री दोषमोहमद आरीसर

-:निर्णय :-

दिनांक 06/04/2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 12.10.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसकी पालना में तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक/भूअ./2023/533 दिनांक 3.02.2023 द्वारा मौजा आकल पटवार क्षेत्र कारटिया तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 200 रकबा 0.5747 हैक्टर व खसरा संख्या 398/160 रकबा 5.9732 हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादीगण वकील उप0। वादीगण वकील ने तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वादीगण वकील की बहस सुनी गई। तहसीलदार सेड़वा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो विधि संवत् रूप से तैयार किया गया। सभी पक्षकारान को सूचना के नोटिस जारी किये गये एवं मौके पर उप0 होने हेतु पाबंद किया गया। मौके पर वादी मोडाराम मौतबिरान के साथ उप0 हुए व विप्रार्थी अनुपस्थिति रहे। वादीगण का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खातेदारान के सामने अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	मोडाराम पुत्र लालूराम कुम्हार(प्रजापति)सा.देह खातेदार	आकल	398/160	1.2732	बा.सो	0.39	हरा
2	धनाराम 2122/52747, खेराजराम 2122/52747, मालाराम 2122/52747, मेती 2122/52747, अमी 2122/52747 पिता पदमाराम, बाबूराम 708/52747, मूलाराम 708/52747, चन्दूदेवी 708/52747 पिता मोतीराम, गंगाराम 3183/52747, राजूराम 3183/52747, भीखाराम 3183/52747, रावताराम 3183/52747 पिता हेमाराम, रामाराम पुत्र लालूराम 12732/52747, भैराराम पुत्र लालूराम 12732/52747, राजूराम पुत्र हेमाराम 606/52747, चनणीदेवी पत्नि रावताराम 606/52747, जीयादेवी पत्नि भैराराम 606/52747 जति कुम्हार(प्रजापति)सा.देह खातेदार	आकल	200, 398/160, 398/160	0.5747, 2.7263, 1.9717	बा.सो	0.18 0.79 0.67	लाल
			3	5.2747		1.64	लाल

तहसीलदार सेड़वा को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.02.2023 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिले दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/04/2023 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सेड़वा
(S.D.O) सेड़वा